3/16

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

A2/2

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–03 / 16

वर्षः– 2016

पीठासीन अधिकारीः– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

1.राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय श्री गंगानगर

बनाम

चिमन लाल

अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

।। निर्णय ।।

प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय श्री गंगानगर द्वारा इस्तगासा हाजा पेश किया गया कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 7025 दिनांक 26.09.2015 के अनुसार पुलिस थाना में एफआईआर संख्या 127 / 92 धारा 3 / 7 ईसी एक्ट स्टेट बनाम चिमनलाल दर्ज है। उक्त एफआईआर में पुलिस द्वारा 8 सिलेण्डर 14 किलो (6 सिलेण्डर इण्डेन व 2 एचपी कंपनी), 31 छोटे सिलेण्डर (आधा किलो), 3 सिलेण्डर (चार किलो), 3 रेग्यूलेटर, 5 रिफलिंग पाईप जब्त किया गया। यह कि इस संबंध में पुलिस थाना द्वारा पत्रावली भी इस पत्र कं संलग्न कर भिजवायी गयी। थानाधिकारी के पत्र अनुसार उक्त माल वजह सबूत पुलिस थाना के माल खाने में काफी समय से पड़ा हुआ है तथा खराब हो रहा है। उनके अनुसार उक्त माल की वर्तमान में किसी प्रकरण मे आवश्यकता नहीं है अतः उनकी ओर से उक्त माल के निस्तारण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है, वर्तमान में समस्त सामान मालखाना पुलिस थाना कोतवाली की पास ही मौजूद है। उक्त प्रकरण में दर्ज एफआईआर संख्या 127 / 92 में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया है। निर्णय की प्रति पत्रावली संलग्न है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्त 8 सिलेण्डर, 14 किलो (6 सिलेण्डर इण्डेन व 2 एचपी कंपनी), 31 छोटे सिलेण्डर (आधा किलो), 3 सिलेण्डर (चार किलो), 3 रेग्यूलेटर, 5 रिफलिंग पाईप को राजसात करने का ओदश फरमावें।

इस्तगासा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया लेकिन अप्रार्थी का पता ज्ञात नही है अतः एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। उनके द्वारा कहा गया कि उक्त प्रकरण में दर्ज प्राथिमकी में निर्णय पारित कर दिया गया है। जब्त शुदा सामान राजसात किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 24.03.1992 को उक्त अनियमित सिलेण्डर आदि बरामद किये गये थे। इस संबंध में सी. जे.एम. श्री गंगानगर द्वारा 19.09.2003 को अन्तिम नतीजा अदम वकू स्वीकार किया जा चुका है। धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 8 सिलेण्डर 14 किलो(6 सिलेण्डर इण्डेन व 2 एच पी कम्पनी) 31 छोटे सिलेण्डर(आधा किलो) 3 सिलेण्डर 04 किलो 3 रेग्युलेटर 5 रिफिलिंग पाईप को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी श्री गंगानगर व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली श्री गंगानगर को निर्णय की प्रति भिजवाई जाकर उक्त सामग्री को राजसात किये जाने के लिखा जावे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर